

गंगाराम बनाम पुरखाराम आदि
प्रकरण संख्या 69/2024 अन्तर्गत धारा 251क आरटीएक्ट(रास्ता स्वीकृति)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
28/2/2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकेन उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि प्रार्थी को अपने खेत में आवागमन हेतु कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 की आपसी सहमति से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थी व अप्रार्थी की आपसी सहमति व तहसीलदार की रिपोर्ट आदि के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि चक 4 डीडब्ल्यूडी के प.नं. 13/8 के कि.नं. 2 की 0.018 है., 9 की 0.018 है. पूर्वी पासा पर उतर से दक्षिण लम्बाई भूमि को गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा रास्ता भूमि के बदले में प्रार्थी की भूमि चक 4 डीडब्ल्यूडी के प.नं. 13/8 के कि.नं. 11 की 0.09 है., 12 की 0.09 है., 13 की 0.09 है., 14 की 0.09 है. उत्तरी पासा पर पूर्व से पश्चिम लम्बाई में कि.नं. 12 में उत्तरी पूर्वी कोना छोड़कर भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार को पत्र जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">० सहायक कलेक्टर एड सपरगण्ड अधिकारी राजपुर</p>	

